F – प्रमाण–पत्र सत्यापन हेतु वांछित प्रमाण पत्रों की सूची

प्रमाण–पत्र सत्यापन हेतु निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ तथा दो सत्यापित छाया प्रतियाँ साथ लेकर जावें :–

1. ऑन–लाईन रजिस्ट्रेशन की प्रिंटेट पावती ।
2. विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्री डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा की अंकसूची। (वि.वि. द्वारा जारी प्रवेश परीक्षा परिणाम की उस पृष्ट की डाउनलोड की हुई कॉपी जिसमें संबंधित छात्र के अंक का विवरण हो)
3. माध्यमिक परीक्षा, उच्चतर माध्यमिक परीक्षा की अंकसूची।
4. यदि अभ्यर्थी स्नातक या स्नातकोत्तर की पढाई पूर्ण किया हो तो प्रवजन प्रमाण पत्र (माईग्रेशन)। सत्यापन हेतु प्रवजन प्रमाण पत्र की फोटो–कॉपी जमा करें।
5. छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित स्थाई जाति प्रमाण पत्र।
6. छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी/संस्था द्वारा जारी विकलांगता/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र।
7. विवाह के पश्चात नाम परिवर्तन हुआ है तो उसका शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करें।
8. अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र – प्री डी.एल.एड. आवेदन वर्ष में सतत् अध्यापन करते रहने के प्रमाण पत्र के साथ कम से कम दो वर्ष का अध्यापन अनुभव हो। अनुभव प्रमाण पत्र प्राचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा अनिवार्यता प्रमाणित हो। यदि वर्तमान में कार्यरत शाला एवं पुराने अनुभव हेतु पूर्व की शाला में परिवर्तन (अंतर) है तो पुराने अनुभव एवं वर्तमान अनुभव हेतु दो अनुभव प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारुप आगामी पृष्टों में दिया गया है।

   नोटः अनुभव प्रमाण पत्र प्रवेश विवरणिका में दिये गये प्रारूप में ही स्वीकार किये जावेंगे।
9. तीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ
10. प्री डी.एल.एड. परीक्षा के प्रवेश पत्र की प्रति।
11. अभ्यर्थी दवारा शपथ पत्र (10/– रु. के स्टाम्प में ही शपथ पत्र देवें

शपथ पत्र का प्रारुप

(10/– रु. के स्टाम्प में ही शपथ पत्र देवें)

मैं .....

पिता/पति .....

प्रवेश परीक्षा अनुक्रमांक ..... यह घोषणा करती/करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त समस्त जानकारी, संलंग्न प्रमाण–पत्रों की छाया प्रति सत्य व सही है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत अथवा झूठी पाई जाती है तो उसके परिणाम स्वरुप मुझे यह स्वीकार होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन मेरे प्रवेश को किसी भी समय निरस्त करने एवं मेरे विरुद्व किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।

दिनांक –

स्थान –

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

प्रारुप क्रमांक 01 (न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव)

पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

डी.एल.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र

विद्यालय का पंजीयन क्रमांक .....

विद्यालय का नाम .....

विद्यालय का पता .....

विद्यालय का दूरभाष क्रं .....

विद्यालय द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक – .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कु. .....

पिता/पति ..... इस विद्यालय में .....

पद पर दिनांक ..... से निरंतर वर्तमान मे कार्यरत है।

सील

हस्ताक्षर

प्राचार्य/प्रधानाध्यापक

नाम –.....

नोट :– उक्त प्रमाणपत्र में किसी भी प्रकार की काँट–छाँट, ओवर राईटिंग या सफेदा लगा होने की दशा में प्राचार्य के उस जगह पर काउंटर साइन व सील होना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा व प्रवेश निरस्तकिया जावेगा। शाला प्राचार्य/प्रधानाध्यापक का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के दौरान ही उपयोग में लाया जावेगा अतः काउंसलिंग के दौरान ही बनवाएं ताकि तत्कालीन तिथि प्रमाण पत्र में अंकित हो।

अनुभव प्रमाण पत्र हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1. अनुभव प्रमाण पत्र के उपरोक्त प्रारूप को सावधानीपूर्वक प्राचार्य/प्राधानपाठक से पूर्ण रुप से भरवाकर सत्यापन के दौरान मूलप्रति में जमा करना अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र इसी निर्धारित प्रारुप में स्वीकार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार की कांट–छांट न करें।
2. दो अलग–अलग शाला में अध्यापनरत रहें शिक्षकों को दो अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। जिसमें पहला न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव दर्शाता हो एवं दूसरा जो की वर्तमान में छत्तीसगढ़ की शाला में अध्यापनरत होना दर्शाता हों।

पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

डी.एल.एड. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र

विद्यालय का पंजीयन क्रमांक .....

विद्यालय का नाम .....

विद्यालय का पता .....

विद्यालय का दूरभाष क्रं .....

विद्यालय द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक – .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कु. .....

पिता/पति ..... इस विद्यालय में .....

पद पर दिनांक ..... से निरंतर वर्तमान मे कार्यरत है।

सील

हस्ताक्षर

प्राचार्य/प्रधानाध्यापक

नाम –.....

नोट :– उक्त प्रमाणपत्र में किसी भी प्रकार की काँट–छाँट, ओवर राईटिंग या सफेदा लगा होने की दशा में प्राचार्य के उस जगह पर काउंटर साइन व सील होना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा व प्रवेश निरस्तकिया जावेगा। शाला प्राचार्य/प्रधानाध्यापक का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के दौरान ही उपयोग में लाया जावेगा अतः काउंसलिंग के दौरान ही बनवाएं ताकि तत्कालीन तिथि प्रमाण पत्र में अंकित हो।

अनुभव प्रमाण पत्र हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1. अनुभव प्रमाण पत्र के उपरोक्त प्रारूप को सावधानीपूर्वक प्राचार्य/प्राधानपाठक से पूर्ण रुप से भरवाकर सत्यापन के दौरान मूलप्रति में जमा करना अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र इसी निर्धारित प्रारुप में स्वीकार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी प्रकार की कांट–छांट न करें।
2. दो अलग–अलग शाला में अध्यापनरत रहें शिक्षकों को दो अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। जिसमें पहला न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव दर्शाता हो एवं दूसरा जो की वर्तमान में छत्तीसगढ़ की शाला में अध्यापनरत होना दर्शाता हों